बजट घोषणा वर्ष 2020–2021

क्र. स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
1.	128	प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के तुरन्त बाद नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाये जाने पर, ऐसे निजी अस्पताल द्वारा उसका उपचार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की सकेगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आवश्यक कानूनी प्रावधान भी किये जायेंगे। इसके लिए पृथक् से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
2.	129.01	सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर कम करने के लिए तमिलनाडु की तर्ज पर रोड मैप तैयार किया जायेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी यातायात एवं संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी वर्ष में दो बार स्थिति की समीक्षा करेगी।
3.	129.02	सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है, जिससे लगभग 100 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
4.	130	राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों को क्रमशः 25 लाख रूपये, 15 लाख रूपये एवं 10 लाख रूपये का 'मुख्यमंत्री सडक सुरक्षा पुरस्कार' दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
5.	131	सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राज्य के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को Primary Trauma Centre के रूप में विकसित किया जायेगा, जिस पर 10 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है।
6.	132	आमजन की सुविधा के समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तर्ज पर लाईसेंस एवं पंजीयन सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के माध्यम से Front Office Management System संचालित किये जायेंगे।
7.	133	जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
8.	134	छात्र–छात्राओं एवं आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिलें में ट्रेफिक पार्क स्थापित किये जायेंगे, जिस पर 16 करोड़ 50 लाख रूपये व्यय किये जायेंगे।
9.	223	औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संविदा यान के रू॰ में संचालित बसों के लिये मोटर वाहन कर को दो श्रेणियों में विभक्त कर बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर की राशि अधिकतम 14 हजार रूपये के स्थान पर 10 हजार रूपये किया जाना प्रस्तावित है।
10.	224	राज्य की दो नगर पालिकाओं, जिनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है, उनमें संचालित 32 बैठक क्षमता वाले स्टेज कैरिज वाहनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरवाहन कर की दर 250 रूपये के स्थान पर 100 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
11.	225	राज्य में बिना परमिट अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी यात्री वाहनों पर एक वित्तीय वर्ष के लिए देय मोटरवाहन करको, उस वाहन के लिए देय एक बारीय कर का 25 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावितहै।
12.	226	वहन कर में सरलीकरण के उद्देश्य से Construction Equipment Vehicle एवंVehicle Fittedwith Equipment पर लगने वाले कर को एक समान करते हुये इनके चैसिस के रूप में क्रय किये जाने पर कर की दर कीमत के 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत एवं पूर्णतया निर्मित वाहनों पर 7 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
13.	227	राज्य में संचालित संविदा बसों पर मोटरवाहन कर में राहत देते हुये 23 सीटर से लेकर 40 से अधिक सीटर बसों की तीनों श्रेणियों पर 100 रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह की छूट दिये जाने की घोषणा।
14.	228	उप–नगरीय मार्गों पर वर्तमान में देय प्रतिदिन संचालित दूरी आधारित मोटरवाहन कर में राहत प्रदान करते हुये निर्धारित चारों श्रेणियों में 50 रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह छूट देने की घोषणा।